

9/c

कार्यालय अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार)
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नागदा

कर्मोंक अ.यें./परी. एवं संचार/सिविल/ 214-1

नागदा दिनांक 08.03.18

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन में प्रचलित दिनांक 01.08.2014 से लागू तथा अभी तक संशोधित एस.ओ.आर. जिसमें किसी सामग्री की लीड देय नहीं होगी, की दरों पर अधारित समतुल्य/कम/अधिक दरों पर प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपयुक्त ठेकेदार से निम्न कार्य मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र "अ" में आमंत्रित की जाती है।

समस्त एस.ओ.आर. आयटम के लिए एक ही प्रकार की दर एवं नान एस.ओ.आर. आयटम के रेट अलग से दिये जावें। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, वाणिज्य कर, रायल्टी, शेष इत्यादि शामिल होंगे, अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स देय नहीं होगा।

| निविदा क्रमांक | उपकेन्द्र एवं कार्य का नाम | ठेके की अनुमानित राशि (लाख में) | बयाने की राशि | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा क्रय करने/जमा करने की अंतिम तिथि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | ठेकेदार की वांछित श्रेणी |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| अधी/यंत्री/परी/संचार/न/(सि)/58 | 132 के.व्ही. उपकेन्द्र ताल पर 5एच.पी 30 स्टेज सबसिंबल पंप लगाने एवं एसेसरीज लगाने का कार्य। | 1.20 लाख | 2400/- | 1 माह | 20.03.2018 21.03.2018 | 560/- | ब एवं उपर |
| अधी/यंत्री/परी/संचार/न/(सि)/59 | 132 के.व्ही. उपकेन्द्र उन्हेल पर टैंकरों/पाईप लाइन से जल प्रदाय का कार्य। | 0.40 लाख | 800/- | 4 1/2 माह | 20.03.2018 21.03.2018 | 560/- | ब एवं उपर |
| अधी/यंत्री/परी/संचार/न/(सि)/60 | 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा पर टैंकरों/पाईप लाइन से जल प्रदाय का कार्य। | 0.65 लाख | 1300/- | 4 1/2 माह | 20.03.2018 21.03.2018 | 560/- | ब एवं उपर |

नियम व शर्तें :-

- योग्य तथा मण्डल/कंपनी में पंजीकृत एवं ई.पी.एफ. (कर्मचारी भविष्य निधि) में पंजीकृत तथा समान प्रकृति के कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों को ही निविदा प्रपत्र कॉलम 6 में दर्शाई हुई राशि अथवा उतने मूल्य के डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. इंदौर के पक्ष में देय हो, जमा करने पर निविदा जमा करने की तिथि के एक दिन पूर्व तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में जारी/विक्रय किये जायेंगे। दस्तावेज डाक द्वारा मंगाने पर रू. 100/- अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।
- भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 की धाराओं के तहत कटोत्रा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संबंधित विभाग में पंजीयन आवश्यक है।
- निविदा प्राप्त होने पर प्रत्येक देयक में से शासन द्वारा निर्देशित समस्त कर जैसे आयकर, वाणिज्यिक कर, सर्विस टैक्स इत्यादि काटे जावेंगे।
- धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जमा किये डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वरिष्ठ लेखाधिकारी म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. इंदौर के पक्ष में देय हो, अथवा नगद रूप में कार्यालय में जमा कराई जाने पर ही स्वीकार की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदायें विचार योग्य नहीं होंगी। यदि मण्डल/कंपनी में अपंजीकृत ठेकेदारों को ठेका आवंटित होता है तो उन्हें अनुबंध निष्पादन के समय ठेके के मूल्य के 5 प्रतिशत राशि के बराबर (प्रारंभिक धरोहर राशि एवं 4 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर राशि) जमा करना होगी तथा पंजीकृत ठेकेदारों को भी (प्रारंभिक धरोहर राशि एवं अतिरिक्त धरोहर राशि 1 प्रतिशत) जमा कराना अनिवार्य रहेगा।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज बयाने की राशि सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित दिनांक **21.03.2018** को 15:00 बजे तक लिये जाएंगे एवं उसी दिन 15:30 बजे ठेकेदारों के समक्ष या उनके अधिकृत व्यक्तियों के सम्मुख खोले जाएंगे।
- निविदा बेचने की अंतिम तिथि/जमा करने की तिथि को कार्यालयीन अवकाश होने की स्थिति में कार्यवाही अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर की जावेगी। निविदा बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः/आंशिक रूप से अमान्य/रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- यदि वांछित श्रेणी के ठेकेदार निविदा हेतु राशि नहीं लेते हैं तो अनुभवी/अपंजीकृत ठेकेदारों को भी निविदा जारी/विक्रय की जावेगी।
- विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु कार्य दिवस के कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

9/c
अधीक्षण यंत्री (परी. एवं संचार)
म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. नागदा

प्रतिलिपी:-

- मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर।
- कार्यपालन यंत्री परीक्षण संभाग म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. नागदा/रतलाम/नीमच।
- सहायक यंत्री (सिविल) कार्या. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) वृत्त म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. रज्जैन।
- नोटिस बोर्ड।